न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 43 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 10.06.2015

1. देवीलाल पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगीलाल पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. गीता पुत्री सुरजमल पत्नि भगवानजी जाति गुर्जर निवासी दुगार हाल बागापुरा तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
4. लादु पिता प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
5. कंकु पुत्री प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. कमली पुत्री प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
7. सोसर पत्नि स्व0 प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण/प्रतिवादीगण

विरूद्ध

1. नन्दराम पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. कमली पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. तहसीलदार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. जिला कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
प्रकरण संख्या 46/2010 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.09.2013

उपस्थित–
1. शिवनारायण जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 44 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 10.06.2015

1. देवीलाल पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगीलाल पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. गीता पुत्री सुरजमल पत्नि भगवानजी जाति गुर्जर निवासी दुगार हाल बागापुरा तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
4. लादु पिता प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
5. कंकु पुत्री प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. कमली पुत्री प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

7. सोसर पत्नि स्व0 प्रकाश जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट्गण/प्रतिवादीगण

विरूद्व

1. नन्दराम पिता सुरजमल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. कमली पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी दुगार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. तहसीलदार तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. जिला कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
प्रकरण संख्या 46/2010 वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2014

उपस्थित- 1. शिवनारायण जाट-अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. छोगालाल जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 19.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मोजा दुगार तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 407,436,473,474, 497,498,530,694,700,1008,1010,1215,1443/185, कुल किता 13 कुल रकबा 7.18 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/5 व अपीलान्ट्गण 1 से लगायत 3 प्रत्येक का 1/5 व अपीलान्ट सं. 4 से 7 का संयुक्त 1/5 हक व हिस्सा निहित है। जिसका बंटवाडा कराया जावे। उक्त आराजीयात मे से आराजी नम्बर 700 एवं 1215 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पिता सुरजमल ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 8 को विक्रय कर दी है। शेष आराजी का बंटवाडा कर्.या जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का नाम उक्त कृषि आराजीयात से हटाया जावे। क्योकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का कोई हक व हिस्सा नही है। एवं उपरोक्त कृषि आराजीयात को अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के पिता सुरजमल ने पंजीकृत वसीयतनामे के जरिये अपीलान्ट सं. 1 व 2 तथा प्रकाश प्रतिवादीगण को वसीयत कर दी है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्ट सं. 1 व 2 तथा प्रकाश प्रतिवादीगण ही उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे सुनवाई कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/5 व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा व बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये। उसके पश्चात् विवादित कृषि आराजीयात का प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर तहसीलदार बेगूँ से फर्द बंटवाडा तलब किया गया जिस पर कमिश्नर तहसीलदार बेगूँ ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अपने अधीनस्थ अधिकारियो से फर्द बंटवाडा तैयार करवा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को बिना सुने दिनांक 16.06.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे अलग-अलग प्रथम अपीले म्याद बाहर प्रस्तुत की व दोनो अपीलो मे म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम अपीले प्रस्तुत होने पर दोनो अपीले अपील क्रमांक डिक्री 43/2015 व अपील क्रमांक डिक्री 44/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने एक ही पत्रावली मे बंटवाडे के वादपत्र मे दिनांक 18.09.2013 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 43/2015 व उक्त पत्रावली मे दिनांक 16.06.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 44/2015 दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व पक्षकारान एक ही होने से दोनो अपीलो मे एक साथ बहस सुनी जाकर दोनो अपीले एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावली मे संलग्न रहे।

अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से दोनो अपीलो मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किये जाकर दोनो अपीलो को अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण उपस्थित हुए व जवाबदावा प्रस्तुत किया। जवाबदावे मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो से इंकार किया व यह निवेदन किया कि उपरोक्त कृषि आराजीयात को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता ने जरिये पंजीकृत वसीयत नामा अपीलान्टगण सं. 1 व 2 तथा प्रकाश को वसीयत कर दी है तथा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ही अपने पिता के जीवनकाल से उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वादपत्र के पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपने पिता सूरजमल के विरूद्ध विवादित कृषि आराजीयात को लेकर बंटवाडे का वादपत्र अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 चित्तौड़गढ़ के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो प्रकरण सं. 14/1997 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 13.09.2001 को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का नाम विरासत मे गलत दर्ज हो जाने के आधार पर बिना कब्जे के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिति मे चलने योग्य नही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा काउन्टर क्लेम मे प्रस्तुत अभिवचनो के अनुसार दो तनकियात कायम की गई जिसमे तनकी नम्बर 1 रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के जिम्मे तथा तनकी सं. 2 अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के जिम्मे नियत की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के जिम्मे तनकी नम्बर 1 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से साबित करवाया, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र निर्णय व डिक्री किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण ने अपने जिम्मे की तनकी नम्बर 2 को प्रमाणित करवाने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने मे असफल रहने के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तनकी जो काउन्टर क्लेम के आधार पर थी। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के द्वारा प्रमाणित नही कराना मानते हुए तनकी नम्बर 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे किया जाकर दिनांक 18.09.2013 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर तहसीलदार बेगूँ से फर्द बंटवाडा तलब किया गया। कमिश्नर के द्वारा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.06.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 43/2015 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील क्रमांक डिक्री 44/2015 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.06.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2014 विधिविरूद्ध होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय मे पैतृक व संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/5 हक व हिस्सा संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। उसी अनुसार मौके पर 1/5 हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपने हक व हिस्से की कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के हक व हिस्से व कब्जे से इंकार किया व यह निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पक्ष मे दिनांक 19.07.1997 को पंजीकृत वसीसतनामा निष्पादित किया है। उक्त वसीयतनामे के अनुसार अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ही उक्त कृषि आराजीयात के अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का उक्त कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी बंटवाडा कराने का अधिकारी नही है। उक्त सभी तथ्यो का विश्लेषण किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम को प्रमाणित होना नही मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 व उसके पश्चात् कमिश्नर तहसीलदार बेगूँ से विधिसम्मत फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर दिनांक 16.06.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2014 जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरुप होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे तनकियात कायम की जिसमे तनकी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के जिम्मे नियत थी। तनकी सं. 2 अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के जिम्मे नियत थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तनकियात पर साक्ष्य तलब की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की व पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से साक्ष्य बन्द की जाकर उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए दिनांक 18.09.2013 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तलब किया गया। परन्तु कमिश्नर तहसीलदार बेगूँ स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियो से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया जाना पाया जाता है। उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले अपील क्रमांक डिक्री 43/2015 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई व अपील क्रमांक डिक्री 44/2015 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। दोनो अपीले स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप दोनो अपीले अपील क्रमांक डिक्री 43/2015 एवं अपील क्रमांक डिक्री 44/2015 अपीलांट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के प्रकरण संख्या 46/2010 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक16.06.2014 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की साक्ष्य व दस्जावेज को रेकार्ड पर लिया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नव निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 13.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)